2024/246

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री मनोज अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामलाल<br>निवासी पुराना बाजार फतह नगर<br>उदयपुर<br>जिला उदयपुर। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 59 वर्ष 2024

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.09.2024 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 08.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि स्वारितक बिल्डमार्ट प्रा.लि. उदयपुर द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन अधिनियम के तहत अल्पेश मार्बल प्रा. लि. भारजा को ग्राम भारजा में आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कर स्वास्तिक बिल्डमार्ट प्रा. लि. को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया। उक्त पत्रावली की सम्पूर्ण प्रति मय आवेदन पत्र, पटवारी रिपोर्ट, ऑर्डरशीट व रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 08.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि स्वास्तिक बिल्डमार्ट प्रा.लि. उदयपुर द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन अधिनियम के तहत अल्पेश मार्बल प्रा. लि. भारजा को ग्राम भारजा में आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कर स्वास्तिक बिल्डमार्ट प्रा. लि. को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया। उक्त पत्रावली की सम्पूर्ण प्रति मय आवेदन पत्र, पटवारी रिपोर्ट, ऑर्डरशीट व रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय खुले–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर में पेश हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:36:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner